



## प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

### दिनांक- 18.09.2019 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य।

➤ **वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी- (कुल- 01 )**

**थाना सेवरही-**

दिनांक- 17.09.2019 को श्रीमती उमरावती देवी पत्नी किन्चू साहनी निवासी दुमही टोला बलुअड़वा थाना सेवरही जनपद कुशीनगर द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक- 10.09.2019 को सायं करीब 4 बजे मेरी लड़की खेत में पशु चारा काटनें गयी थी, जहाँ पर मेरे ही गांव के एक किशोर ने मेरी लड़की के साथ गलत काम किया व दो अन्य लड़को ने हाथ पकड़कर वीडियो बनाने का प्रयास किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना सेवरही जनपद कुशीनगर में मु0अ0सं0 215/19 धारा- 354/376/506 भादवि व 5/6 तथा 7/8 पास्को एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें मुख्य आरोपी को थाना सेवरही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ **वांटियों की गिरफ्तारी- (कुल- 02 )**

**थाना पटहेरवा-**

➤ थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा 02 नफर वांटियों 1- नन्दलाल पुत्र बच्चन, 2- सम्पत्ति पुत्र रामकिशुन निवासीगण रहसू जनई पट्टी थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर को मु0नं0 1631/12 धारा- 323,504,506, IPC के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ **जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-**

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 10 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

➤ **कार्यवाही एक नजर में =**

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही वाहन-38 से शमन शुल्क- रु0-15800
- 2- वांटियों की गिरफ्तारी- (कुल-02 )
- 3- वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी- (कुल-01)

मीडिया सेल  
कुशीनगर।